कार्यालय निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर

क्रमांक :– प.135 / एनपीएस / जनरल / 2015–16 / 2683–2729 दिनांक 6/8/15

कार्यालय निर्देश

नेशनल पेंशन योजना के सुगम क्रियान्वयन हेतु विभाग एवं पेंशन निधि विनियामक और प्राधिकरण (पीएफआरडीए) नई दिल्ली द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये है परन्तु देखने में आया है कि जिला कार्यालयों द्वारा निर्देशों की समुचित पालना नही की जा रही है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना के सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु समय समय पर आवश्यक कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये गये है। इसी क्रम में दिनांक 22.06.2015 से 24.06. 2015 के दौरान ओटीएस जयपुर में डीटीओज एवं डीटीएज को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया गया जिसमें एनएसडीएल एवं पीएफआरडीए के प्रतिनिधियों द्वारा महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवायी गयी। जिला कार्यालयों को विभागीय निर्देशों की पालना हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये एवं जिला कार्यालयों की कार्य प्रगति की समीक्षा की गयी।

इस संबंध में प्राप्त पीएफआरडीए के पत्रांक पीएफआरडीए / 20 / एसजी / 24 / III दिनांक 08.07. 2015 (प्रति संलग्न) द्वारा निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान आकृष्ट करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी है। अतः समस्त संभागीय / जिला अधिकारी निम्नानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

1. समस्त अंशदाताओं की राशि का अपलोडेशन नही होना–

समस्त डीटीओज को स्पष्टतः निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक माह समस्त प्रान होल्डर्स की प्राप्त एनपीएस राशि का अपलोडेशन किया जाये परन्तु यह देखने में आया है कि शत प्रतिशत अंशदाताओं की राशि का अपलोडेशन नही किया जा रहा है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि डीटीओ / डीटीए सुनिश्चित करें कि समस्त पंजीकृत प्रान होल्डर्स की राशि का नियमित रूप से अपलोडेशन किया जावें।

2. समय पर एनपीएस राशि का अपलोडेशन ना होना–

अक्टूबर देय नवम्बर 2011 के पश्चात प्राप्त हो रही नियमित एनपीएस अंशदान की राशि समय पर सीआरए को अपलोडेशन / ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित नही किये जाने पर विलम्बित अवधि के लिए अंशदाता को कोई प्रतिफल प्राप्त नही होता है। अतः नियमित अंशदान की राशि, पूर्व में जारी निर्देशों के तहत, समय पर अपलोडेशन / ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित किया जाना सुनिश्चित करें।

3. निल क्रेडिट प्रान–

निल क्रेडिट प्रान के संबंध में संबंधित डीडीओ से सम्पर्क कर आवश्यक जांच पश्चात डीएक्टिवेट किये जाने योग्य प्रान को एनएसडीएल से डीएक्टिवेट करवाने की कार्यवाही की जावें।

4. कुछ माहो के अंशदान को एक साथ अपलोड करने एवं ऐरियर के रूप में दर्शाये जाने के संबंध में–

एनपीएस नियमित अंशदान की राशि का समय पर अपलोडेशन सुनिश्चित करें तथा यदि किसी कारणवश एक से अधिक माह की राशि एक साथ प्राप्त होती है तो उसे ऐरियर के रूप में नही दर्शाया जावे तथा प्रत्येक माह की अलग अलग नियमित राशि के रूप में दर्शावें।

5. सभी प्रान धारको का नोमिनी विवरण, फोन नम्बर, ई–मेल आईडी आदि अपडेट नही होना–

जिन प्रान धारको के नोमिनी का विवरण एवं कॉन्टेक्ट डिटेल आदि अंकित नही है उनका विवरण अपडेट करने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

6. बकाया शिकायतें (ग्रिवान्सेस)–

अंशदाताओं से प्राप्त शिकायतों (ग्रिवान्सेस) का निर्धारित अवधि से पूर्व निराकरण सुनिश्चित करें। विलम्ब से शिकायतों के निस्तारण किये जाने पर पेनल्टी का प्रावधान है।

7. स्वायत्तशासी संस्थाओं जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है किन्तु अंशदाता का रजिस्ट्रेशन नही हुआ है जिसके कारण उनका अंशदान अपलोड नही हो रहा है उनसे सम्पर्क कर अपलोड करावें ।

एनपीएस योजना की समीक्षा के दौरान देखा गया कि कुछ डीटीओज द्वारा 24.06.2015 तक मार्च 2015 की एनपीएस राशि का भी अपलोडेशन नही किया गया है जिसे गंभीरता से लिया गया है। अतः निर्देशित किया जाता है कि नियमित एनपीएस अंशदान की राशि का समय पर अपलोडेशन सुनिश्चित किया जावें अन्यथा संबंधित जिला अधिकारी इसके लिए व्यक्तिशः जिम्मेदार होगें।

निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित की जावे।

(एन.के.सुरेलिया)
वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (एनपीएस)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

समस्त संभाग/जिला कार्यालय।

पेंशन निधि विनियामक और
विकास प्राधिकरण
प्रथम तल आईसीएडीआर भवन, प्लॉट न. 6,
वसंत कुंज इन्स्टिट्यूशनल एरिया,
फेज – 2, नई दिल्ली – 110070
दूरभाष : 91-11-26897948 / 49
फैक्स : 91-11-26897938
वेबसाइट : www.pfrda.org.in

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
1st Floor, ICADR Building, Plot No. 6,
Vasant Kunj Institutional Area,
Phase - II, New Delhi - 110070
Tel : 91-11-26897948 / 49
Fax : 91-11-26897938
Website : www.pfrda.org.in

File No. – PFRDA/20/SG/24/III **Date: 8th July, 2015**

To,

Director
State Insurance and Provident Fund Department, Rajasthan
Govt. of Rajasthan,,
2-2A, Jai Singh Highway, Bima Bhawan, Bani Park
Jaipur,- 302006

Dear Sir/ Madam,

Subject: National Pension System – Important issues

NPS implementation and its effectiveness depends on effective usage of various enablers, provided by Central Recordkeeping Agency – NSDL in the NPS architecture. Over a period of time, it has been noticed that the nodal offices are not using these facilities provided by CRA, effectively.

2. In this connection, we would like to draw your kind attention to the use of following important enablers relating to NPS implementation in order to streamline the operations so that maximum benefits can be derived:

(a) **Error Rectification Module** – Error Rectification Module (ERM) was introduced in order to provide support/ recourse for rectification of errors inadvertently committed by the nodal officers e.g. excess amount remitted, amount transferred to an incorrect account, withdrawal of funds of a non-NPS subscriber, etc. As per the latest changes with respect to ERM, the complete refund of redeemed amount (including appreciation/ depreciation due to NAV fluctuation) shall be credited back to the uploading office (earlier there was no provision of crediting appreciation). However, the above mentioned facility cannot be treated as a right and needs to be used judiciously. Therefore, in this regard, you are requested to communicate all the PAOs/DDOs, under your jurisdiction, latest changes introduced by us and instruct them for proper usage of ERM. Further, the PAOs/ DDOs should also be sensitized regarding proper uploading of SCFs and remittances of matching funds so that minimum errors are commited. Nodal Officers should also review periodically the usage of ERM. If a particular nodal office is resorting to ERM quite frequently, the usage alongwith its reasons for causing the errors should be thoroughly analysed.

(b) **<u>Updation of contact details of nodal offices in CRA system</u>** - Availability of proper contact details in CRA system play a pivotal role under NPS. Various important communications like issuance of important Circulars/ Office memorandums, information related to matching and booking, changes in intermediaries under NPS, new initiatives and exit/ withdrawals are sent through email to the nodal offices. Besides, correct landline numbers and mobile numbers of nodal officers enable PFRDA, NSDL and other intermediaries to interact with nodal offices without delay and to ensure prompt action.Thus, updation of proper contact details in CRA system is of paramount importance.

As per recent study undertaken by CRA, it was ascertained that the registered contact numbers of many of the nodal offices are incorrect/ invalid and due to this, important communications regarding NPS cannot be disseminated timely. Therefore, we request you to sensitize all the PAOs under your control for updation of contact details on priority basis and to undertake the same immediately, whenever there is change in the contact details

Yours faithfully

(Pravesh Kumar)
Deputy General Manager